

Barid Rhee

कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल  
संख्या - 663/8-एल0एल0पी0- (2019-2020) पौड़ी विनाक जनवरी 25, 2020

पत्र प्राप्त संख्या 1  
पत्रावली संख्या 14  
दिनांक 12/02/20

आदेश

सचिव, (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-2 देहरादून ने अपने पत्र सं०-04 / XVIII (II) 5/2020-18(11)/2020 दिनांक 22 जनवरी 2020 के द्वारा जनपद गढ़वाल के विस्तराखण्ड कल्पीखाल में नयार नदी पर बड़खोलू गांव के पास 150 मीटर स्थान के मोटर पुल के निर्माण हेतु ग्राग ओडल बड़ा पट्टी लवूर बल्ला-3 के खाता सं०-06,08 एवं 10 अथवा सं०-68,120,120 अर्जित 0.066 श्रेणी-9(3)ग 10(1) राज्य सरकार की भूमि लोक निर्माण विभाग पौड़ी के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिबंधों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वो मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति, अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष प्रड़ी होगी है तो मूल विभाग को उसी वापस लेने का अधिकार होगा।  
एक विभाग दूसरे विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि इस भूमि पर पेड़, इत्यादि अन्य वन समल हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
- 7- प्रशंगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि उपयोग का परिवर्तन गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु सभी अनुमति होगा जब तक अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 8- प्रशंगत वन जोड़ोएत भूमि अवशेष न हो एवं जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि के हस्तान्तरण का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या 1152/2011 (एस0एल0पी0/ (सी0) संख्या-3108/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं०-436/2011/20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश जनवरी 2011 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य समस्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के विन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रशंगत भूमि निर्माण सहित शिक्षा विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिस्तर देय नहीं होगा।
- 11- इस संबंध में नियमानुसार अमेदार कारगारी सुनिश्चित करते हुये शासनआदेश की शर्तों की अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(धीराज सिंह गहवाल)  
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिनिधि-

- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-2 देहरादून।
  - 2- अधीनस्थ अधिकारी, जिलाधिकारी, गढ़वाल।
  - 3- अधीनस्थ अधिकारी, जिलाधिकारी, गढ़वाल, ता० नि० वि० पौड़ी।
  - 4- अधीनस्थ अधिकारी, जिलाधिकारी, गढ़वाल।

सं० सं०-274/29 मा० नि०-12/19, दि०-01-2-2020

प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता,

ज० ख०, लो० मि० वि० पौड़ी के सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

K. H. Mehlam (J.B.)  
26/02/2020

(धीराज सिंह गहवाल)  
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

अधीनस्थ अभियन्ता  
12वां वृत्त लो० नि० वि०  
गढ़वाल  
01-02-2020